

उद्योग निदेशालय, उ०प्र०
नियुक्ति अनुभाग-3(प्र०सु०प्रको०)
पत्रांक: 263 /3-प्रशि०/27/2014-15

कानपुर : दिनांक 11 मार्च 2015
-कार्यालय झाप-


उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संबंधित और आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए प्रथम अपीलिय अधिकारी (FIRST APPELLATE OFFICER) एवं द्वितीय अपीलिय अधिकारी (SECOND APPELLATE OFFICER) तथा अपीलिय अधिकारी (REVISING OR APPELLATE OFFICER) निम्नानुसार नामित किये जाते हैं:-

1-उद्योग निदेशालय (मुख्यालय) कानपुर हेतु

क्र०सं०	पदनाम	नामांकन का पद
1	आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उ०प्र. कानपुर।	अपीलिय अधिकारी (REVISING OR APPELLATE OFFICER)
2	अपर आयुक्त उद्योग (कार्मिक) उद्योग निदेशालय, उ०प्र. कानपुर।	द्वितीय अपीलिय अधिकारी (SECOND APPELLATE OFFICER)
3	उपायुक्त उद्योग (कार्मिक) उद्योग निदेशालय, उ०प्र. कानपुर।	प्रथम अपीलिय अधिकारी (FIRST APPELLATE OFFICER)

2-जिला/परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालयों हेतु


क्र०सं०	पदनाम	नामांकन का पद
1	आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उद्योग निदेशालय, उ०प्र. कानपुर।	अपीलिय अधिकारी (REVISING OR APPELLATE OFFICER)
2	अपर आयुक्त उद्योग (कार्मिक) उद्योग निदेशालय, उ०प्र. कानपुर।	द्वितीय अपीलिय अधिकारी (SECOND APPELLATE OFFICER)
3	परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग,	प्रथम अपीलिय अधिकारी (FIRST APPELLATE OFFICER)


(एल०वेंकटेश्वर लु)
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ०प्र०

पृष्ठांकन 264-69 /उक्त

तददिनांक 11-03-15

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-
- 1-समस्त योजनाधिकारी, मुख्यालय, कानपुर।
 - 2-समस्त उप/सहायक आयुक्त, मुख्यालय, कानपुर।
 - 3-समस्त अपर/संयुक्त आयुक्त, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय।
 - 4-समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र।
 - 5-वैयक्तिक सहायक, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग।
 - 6-लोक सेवा प्रवर्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।


(सुनील कुमार), उपायुक्त उद्योग
कृते आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ०प्र०